न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 050/2024

1. प्रभुराम पुत्र चैनाराम माली
2. हरदेवराम पुत्र गोकलराम माली
   निवासीगण ग्राम सालोडी, पटवार मण्डल बेरू
   तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. मानाराम पुत्र चैनाराम
3. मोतीराम पुत्र रामचन्द
4. विशनाराम पत्रु पुनमराम
5. माणकराम पुत्र पुनमराम
6. खम्मा देवी पत्नी बगताराम
7. सेठाराम पुत्र बगताराम
8. टीकमचंद पुत्र बगताराम
9. दीपक पुत्र बगताराम
10. रेखा पुत्री बगताराम
    सभी निवासीगण ग्राम सालोडी
    तहसील व जिला जोधपुर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर दिनांक 23 जून 2023 प्रकरण संख्या 26/2023

उपस्थित–
श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
रेस्पो. संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता
श्री सुमेरसिंह, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 3 से 10

नि र्ण य

दिनांक : 10 सित., 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2023 में पारित आदेश दिनांक 23 जून 2023 के खिलाफ आलौच्य

अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 शिविर ग्राम सालोडी पंचायत समिति केरू के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 132 व 136 तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प–3(2)राज–6/04 दिनांक 10 अगस्त 2016 के तहत पेश कर ग्राम सालोडी स्थित आराजी खसरा संख्या 635, 637, 616, 614, 611, 609, 606, 607, 608, 642, 647 व 612 में से चले आ रहे रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कराये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत कर जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स ग्राम सालोडी स्थित आराजी खसरा संख्या 642 व 647 के सहखातेदारान है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व वादग्रस्त आराजियात के अभिलिखित खातेदारान को न तो कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और न ही आपत्तियॉ प्राप्त की गयी। अपीलाण्ट संख्या एक के पिता चैनाराम का देहान्त 26 जुलाई 2011 को हो चुका है मगर विचारण न्यायालय के समक्ष उन्हें अपार्थी संख्या 10 व 11 चैनाराम पुत्र सांवतराम पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार अपीलाण्ट संख्या दो के पिता गोकलराम का भी देहान्त 01 दिसम्बर 2019 को हो चुका था, मगर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए गोकलराम के वारिसान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही आपत्तियॉ ली गयी। खसरा संख्या 642 व 647 में अपने निजी फायदे हेतु सरंपच ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी हळका से दुराभिसंधि कर मनगढन्त मौका रिपोर्ट तैयार करवायी गयी, उक्त मौका रिपोर्ट पर संबंधित सहखातेदारान के हस्ताक्षर भी नहीं है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि खसरा संख्या 642 व 647 निजी खातेदारी की भूमि है जिसके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित करने में गम्भीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प–3(2)राज–6/04 दिनांक 10 अगस्त 2016 में भी मात्र राजकीय भूमि पर चलायमान रास्ता के संबंध में प्रावधान है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को सूचित किये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है जिसकी जानकारी दिनांक 18फरवरी 2024 को रेस्पो. संख्या एक के कारिन्दों द्वारा वादग्रस्त भूमि पर जबरन कांकरी डालने एवं अपीलाण्ट्स द्वारा दरयाफ्त करने पर अपीलाधीन आदेश का हवाला दिये जाने पर हुई। तब विचारण न्यायालय से अपीलाधीन आदेश की नकलें आदि प्राप्त कर एवं आवश्यक कार्यवाही कर आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे और वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में

अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने न्यायालय का ध्यान एआईआर 1999 सर्वोच्च न्यायालय 1484, एआईआर 2017 सर्वोच्च न्यायालय 2419 एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प–3(2)राज–6/04 दिनांक 10 अगस्त 2016 की ओर आकर्षित किया।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात बाबत विधिवत पटवारी हळका,भू.अ. निरीक्षक की मौका फर्द अनुसार मौके पर रास्ता चलायमान है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा भी उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंसा की गयी है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व नियमों के नियम 58(3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स मियाद–बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि अपीलाधीन आदेश में अंकित सारणी के अनुसार बिन्दु संख्या 10 व 11 के आगे दर्ज आराजी खसरा संख्या 642 व 647 बाबत सारणी के "खातेदार का नाम" कॉलम में "चैनाराम पुत्र सांवलराम वगैरह" दर्ज किया गया है और इसी अनुसार मामले में उक्त चैनाराम पुत्र सांवलराम वगैरह अप्रार्थी संख्या 10 व 11 अपीलाधीन आदेश में संयोजित है। मगर अपील स्तर पर जो मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 21 सितम्बर 2011 पेश किया गया है, उसके अनुसार चैनाराम पुत्र सांवलराम का देहान्त दिनांक 26 जुलाई 2011 को हो चुका था। इसी प्रकार मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2019 प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार गोकलराम पुत्र सांवलराम का देहान्त दिनांक 01 दिसम्बर 2019 को हो चुका था। इन परिस्थितियों में एआईआर 1999 सर्वोच्च न्यायालय 1484, एआईआर 2017 सर्वोच्च न्यायालय 2419 के प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादितानुसार इन मृतक व्यक्तियों की भूमि बाबत पारित अपीलाधीन आदेश कियान्वयन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प–3(2)राज–6/04 दिनांक 10 अगस्त 2016 में भी राजकीय भूमि/निजी खातेदारी भूमि में स्थायी तोर पर चलायमान रास्ते के प्रकरणों में संबंधित पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी31 की प्रति समन द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। किन्तु आलौच्य मामले (जिसमें खसरा संख्या 642 व 647 वाके ग्राम सालोडी बाबत मृतक व्यक्ति हो पक्षकार संयोजित किया गया है) ऐसा किया जाना उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। जिससे खसरा संख्या 642 व 647 वाके ग्राम सालोडी के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार करते हुए आंशिक तौर पर खसरा संख्या 642 व 647 वाके ग्राम सालोडी के संबंध में स्वीकार की जाती है। तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 जून 2023 खसरा संख्या 642 व 647 वाके ग्राम सालोडी के संबंध में अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और आगामी तीन माह की अवधि में प्रकरण निस्तारित करते हुए संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुसार विधिसम्मतः एवं न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर